सील्ड /रजिस्टर्ड

संख्या-215/2016/1581/22-2-2016-17(4)/2013

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 अक्टूबर,2016***

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मै आपके पास निम्नलिखित आपकी जेल के कैदी का लाइसेन्स भेजूं और आपको यह सूचित करूं कि यू0 पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 (सन् 1938 का एक्ट-8) की धारा-2 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय इस बन्दी को यू0 पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन रूल्स के नियम-8 के अनुसार लाइसेन्स के द्वारा मुक्त किये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते है।

बन्दी का नाम-गरीबे (बन्दी संख्या-42945)

बन्दी के पिता का नाम- श्री रामसुधि,

निवासी ग्राम-पैडी अजबसिंह, थाना-कोतवाली देहात, जिला-गोण्डा।

2- कृपया इन आदेशों की प्राप्ति स्वीकार करे।

संलग्नक: लाइसेन्स की मूल प्रति।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-215/2016/1581(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(लाइसेन्स की द्वितीय प्रति के साथ)

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
3- पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-घ (डी)

(देखिए नियम -7)

यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अधीन शर्तों पर छोडे. जाने का लाइसेन्स।

यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, इस पाबन्दी के साथ कि आगे लिखी शर्तों का पालन किया जायेगा। बन्दी **गरीबे** जिसके पिता का नाम **श्री रामसुधि** और **दिनांक 19-03-2016 को बन्दी की आयु लगभग 78 वर्ष 09 माह है,** जो **निवासी- ग्राम पैडी अजबसिंह, थाना-कोतवाली देहात, जिला-गोण्डा** का रहने वाला है जिसकी **बन्दी संख्या-42945 है,** जो इस समय **केन्द्रीय कारागार, वाराणसी** में बन्द है, को छोडने की स्वीकृति और निर्देश देते है और उक्त कैदी का अभिभावक जिला प्रोबेशन अधिकारी, बोण्डा को नियुक्त किया जाता है, की देखरेख और अधिकार में रखते है।

यह लाइसेंस यदि वह पहले ही निरस्त न कर दिया गया हो, तो बन्दी मृत्यु के पश्चात् समाप्त हो जायेगा।

शर्ते जिनका पालन लाइसेंसदार को करना होगा

1- लाइसेंस की अवधि में लाइसेंसदार उपर्युक्त अभिभावक की देख-रेख और अधिकार में रहेगा। वह उन सभी आदेशों का अनुपालन करेगा, जो अभिभावक उसके निवास स्थान, रोजगार और चाल- चलन के विषय में उसे मौखिक रूप से या लिख कर दें।

2- उसके अभिभावक ने जिन स्थानों की सीमाओं के भीतर रहने का उसे आदेश दिया हो उसके बाहर वह बिना उसकी अनुमति के नहीं जायेगा। वह उस स्थान पर चला जायेगा, जहां जाने का निदेश उसे अभिभावक ने दिया हो और वह उस मार्ग से जायेगा, जिसे उसके अभिभावक ने निर्धारित कर दिया हो।

3- वह उस समय और उन स्थानों पर और उन व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित होगा, जिनके सम्बन्ध में अभिभावक समय-समय पर निदेश करे।

4- वह स्वयं यथोचित परिश्रम से अभिभावक के संतोषानुसार उस काम को करेगा जिसमें लगाने का अभिभावक उसे निर्देश करें।

5- वह कोई ऐसा अपराध न करेगा, जो किसी ऐसे कानून द्वारा दण्डनीय हो, जो भारत में इस समय लागू हो।

6- वह ऐसे व्यक्तियों के साथ किसी भी रूप में मेल न रखेगा, जिनके विषय में यह प्रसिद्व हो कि वे बदमाश है या दुराचारणूर्ण या कुत्सित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

7- यदि राज्य सरकार यह समझे कि उसने उपुर्यक्त शर्तो का उल्लघंन किया है तो राज्य सरकार सम्बन्धित व्यक्ति को अपना मामला, जिस जिले में वह उस समय रह रहा है, उसके जिला मजिस्ट्रेट, के सम्मुख रखने का एक अवसर देने के उपरान्त उसके लाइसेंस का निरसन कर सकती है और यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 ई0 की धारा-4 के उपबन्धों का पालन करते हुए कैद की बाकी सजा भुगतने के लिए उसे फिर से जेल में बन्द किये जाने का निदेश दे सकती है।

8- इस लाइसेंस के निरसन पर उक्त कैदी निरसन के आदेश पत्र में बताई हुई उस तारीख पर या उससे पहले ही जेल में वापस आ जायेगा।

9- अभिभावक की मत्यु हो जाने की दशा में लाइसेन्सदार उस जिले के जिलाधीश को जहां कि वह रहता है इस बात की सूचना तुरन्त देगा और यदि सम्भव हो तो मृतक के स्थान पर किसी दूसरे उपयुक्त अभिभावक का नाम प्रस्तावित करेगा और प्रस्तावित अभिभावक के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभिभावक का कर्तव्य

लाइसेन्स की शर्तो का पालन पूर्ण रूप से कराना अभिभावक का कर्तव्य होगा। वह लाइसेंसदार के चाल-चलन और उसकी भलाई का ध्यान रखेगा और साधारणतया उसके स्थानीय संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। यदि लाइसेंसदार का आचरण खराब पाया जाये तो अभिभावक का कर्तव्य होगा कि इस बात की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट से करें।

यदि इस एक्ट के अधीन लाइसेन्स पर छोडा गया कोई कैदी अभिभावक की देख-रेख या अधिकार से निकल भागे या उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाने पर जेल वापस न लौटे तो अभिभावक तुरन्त उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेंडेन्ट को देगा और निकटतम थाने में रिपोर्ट करेगा और कैदी के बिरूद्ध उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी, जिस प्रकार पुलिस के हस्तक्षेप योग्य मामले में की जाती है।

दिनांक :

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।